आयुक्त न्यायालय, सारण प्रमण्डल, छपरा।

आपूर्त्ति पुनरीक्षण वाद संख्या –143/2022

चाँद मोहम्मद

बनाम

1. जिला दण्डाधिकारी, सिवान
2. अनुमंडल पदाधिकारी –सह– अनुज्ञापन पदाधिकारी, सिवान, सदर

आदेश

	उपस्थिति, वादी के तरफ से :– विद्वान अधिवक्ता, नीरव नारायण सिंह, मणीन्द्र कुमार ठाकुर प्रतिवादी संख्या 01 और 02 के तरफ से :– विद्वान विशेष लोक अभियोजक (आवश्यक वस्तु अधिनियम)	
आदेश की क्रम–संख्या और तारीख	**आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर**	*आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ*
26.09.2024 **01.11.2024**	प्रस्तुत पुनरीक्षण वाद समाहर्त्ता, सिवान द्वारा आपूर्ति अपील वाद सं0– 37/ 2019–20 में दिनांक –17.02.2022 को पारित आदेश से असंतुष्ट होकर इस न्यायालय के समक्ष दायर किया गया है। वाद का सारांश यह है कि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, बड़हरिया, प्रखण्ड आपूर्त्ति निरीक्षक, जिरादेई एवं अंचल अधिकारी, बड़हरिया, सिवान द्वारा दिनांक 14.04.2019 को पुनरीक्षणकर्ता श्री चाँद मोहम्मद, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अनुज्ञप्ति संख्या 901/2016 के दुकान की संयुक्त जाँच की गई एवं जाँचोपरांत प्रखण्ड आपूर्त्ति पदाधिकारी, बड़हरिया द्वारा पुनरीक्षणकर्ता पर आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 07 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कराया गया एवं पुनरीक्षणकर्ता के अनुज्ञप्ति को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने की अनुशंसा की गई। जाँच टीम द्वारा निम्नवत् अनियमितताएँ अनुमंडल पदाधिकारी –सह– अनुज्ञापन पदाधिकारी, सिवान, सदर को प्रतिवेदित की गई :– **(i) माह मार्च, 2019 का राशन वितरण दिनांक– 20.03.2019 से नहीं किया गया है।** **(ii) माह, मार्च 2019 का राशन वितरण नही ंकर कालाबजारी की नियत से भंडारित रखा गया है, जिसकी जाँच करने पर स्टॉक पंजी अद्यतन नहीं**	

Web Copy Not Official

पाया गया।

(iii) माह, अप्रैल 2019 का भंडारित खाद्यान्न की जाँच करने पर कुल अनुदानित मुल्य की खाद्यान्न, गेहूँ– 06.00 क्वींटल (12 बोरा) एवं चावल– 05.00 क्वींटल (10 बोरा) कम पाया गया।

उक्त अनियमितताओं के कारण अनुमंडल पदाधिकारी, सिवान, सदर द्वारा पुनरीक्षणकर्ता की अनुज्ञप्ति संख्या 901/2016 को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए निरीक्षी टीम द्वारा प्रतिवेदित अनियमितता के संबंध में ज्ञापांक– 27(मु0), दिनांक– 04.06.2019 से स्पष्टीकरण की मांग किया गया। पुनरीक्षणकर्ता से प्राप्त स्पष्टीकरण को असंतोषप्रद पाकर विक्रेता के अनुज्ञप्ति सं0 901/2016 को आदेश ज्ञापांक 533/आ0 दिनांक 16.07.2019 द्वारा रद्द कर दिया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध पुनरीक्षणकर्ता द्वारा समाहर्त्ता एवं जिला दंडाधिकारी, सिवान के न्यायालय में वाद सं0–37/2019–20 दायर किया गया। समाहर्त्ता, सिवान द्वारा दिनांक 17.02.2022 को आदेश पारित करते हुए पुनरीक्षणकर्ता के अपील आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया। समाहर्त्ता, सिवान के आदेश के विरूद्ध पुनरीक्षणकर्ता द्वारा इस न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण वाद दायर किया गया है।

पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक (आवश्यक वस्तु अधिनियम) उपस्थित। विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तारपूर्वक सुना।

पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि:–

(i) अनुज्ञप्तिधारी की दुकान का निरीक्षण दिनांक 14.04.2019 को शाम 07.30 बजे प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, बड़हरिया के साथ प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, जीरादेई एवं अंचल अधिकारी, बरहरिया द्वारा किया गया और छह क्विंटल गेहूं और पांच क्विंटल चावल की कमी और कालाबाजारी की मंशा से माह मार्च 2019 में अनाज का वितरण पहले करने जैसे तीन आरोप लगाते हुए अनुमंडल पदाधिकारी को अपनी रिपोर्ट सौंपी।

(ii) जांच दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर अनुमंडल पदाधिकारी ने अनुज्ञप्तिधारी का अनुज्ञप्ति निलंबित कर दिया और उसके बाद ज्ञापांक 27/मु0 दिनांक 04.06.2019 के माध्यम से स्पष्टीकरण की मांग की गयी।

(iii) अनुज्ञप्तिधारी को स्पष्टीकरण प्राप्त होने के बाद, अनुज्ञप्तिधारी ने अपने स्पष्टीकरण में लगाए गए पूरे आरोप का खंडन किया, लेकिन अनुमंडल पदाधिकारी –सह– अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा उस पर विचार नहीं किया गया एवं ज्ञापांक– 533/आ0 दिनांक 16.07.2019 के माध्यम से अनुज्ञप्तिधारी का अनुज्ञप्ति रद्द कर दिया गया।

Web Copy Not Official

अनुज्ञप्तिधारी ने उक्त आदेश के विरूद्ध जिला दण्डाधिकारी, सिवान के समक्ष आपूर्त्ति अपील वाद संख्या– 37/2019–20 दायर किए लेकिन जिला दण्डाधिकारी ने दिनांक 17.02.2022 को आदेश पारित करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी, सिवान, सदर के आदेश को बरकरार रखा।

(iv) उक्त दोनों न्यायालयों द्वारा पारित आदेश अनुमानों पर आधारित हैं।

(v) उक्त दोनों न्यायालयों को इस बात पर विचार करना चाहिए था कि अनाज की कमी और वितरण संबंधी रिपोर्ट अनुमानों पर आधारित थी।

(vi) यह है कि स्थानीय मुखिया को बिहार लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 की धारा 23 के तहत अनुदान वितरण के संबंध में प्रमाण पत्र जारी करने की शक्ति है एवं उनके निर्देशानुसार वितरण का कार्य दिनांक 20.03.2019 के पूर्व किया गया। इसलिए स्थानीय मुखिया द्वारा रामनवमी और होली के अवसर पर अनाज के पहले वितरण के संबंध में जारी पत्र पर विचार करना चाहिए। अनुज्ञप्तिधारी पर कालाबाजारी का आरोप निराधार है।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक (आवश्यक वस्तु अधिनियम) के अनुसार विक्रेता द्वारा ''बिहार सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016'' के मार्गदर्शिका के विपरीत आचरण किया गया है। अतः विक्रेता की अनुज्ञप्ति रद्द किया जाना उचित है।

पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक (आवश्यक वस्तु अधिनियम) को विस्तारपूर्वक सुनने, अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों तथा निम्न न्यायालय के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है किः–

(i) प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, बड़हरिया, प्रखण्ड आपूर्त्ति निरीक्षक, जिरादेई एवं अंचल अधिकारी, बड़हरिया, सिवान द्वारा दिनांक 14.04.2019 को पुनरीक्षणकर्ता श्री चाँद मोहम्मद, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (अनुज्ञप्ति संख्या 901/2016) के दुकान की संयुक्त जाँच की गई एवं जाँचोपरांत अनियमितताओं के कारण प्रखण्ड आपूर्त्ति पदाधिकारी, बड़हरिया द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 07 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कराया गया एवं पुनरीक्षणकर्ता के अनुज्ञप्ति को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने की अनुशंसा अनुमंडल पदाधिकारी, सिवान, सदर को की गई। तदालोक में अनुमंडल पदाधिकारी, सिवान, सदर द्वारा पुनरीक्षणकर्ता की अनुज्ञप्ति संख्या 901/2016 को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए निरीक्षी टीम द्वारा प्रतिवेदित अनियमितता के संबंध में ज्ञापांक– 27(मु0),

Web Copy Not Official

दिनांक– 04.06.2019 से स्पष्टीकरण की मांग किया गया। पुनरीक्षणकर्ता से प्राप्त स्पष्टीकरण को असंतोषप्रद पाकर विक्रेता के अनुज्ञप्ति सं0 901/2016 को आदेश ज्ञापांक 533/आ0 दिनांक 16.07.2019 द्वारा रद्द कर दिया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध पुनरीक्षणकर्ता द्वारा समाहर्त्ता एवं जिला दंडाधिकारी, सिवान के न्यायालय में वाद सं0–37/2019–20 दायर किया गया। जिसमें पुनरीक्षणकर्ता को विधिवत् सुनवाई हेतु समुचित अवसर प्रदान करते हुए समाहर्त्ता, सिवान द्वारा दिनांक 17.02.2022 को मुखर आदेश पारित किया गया है। इस प्रकार निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश में कोई प्रक्रियात्मक/ वैधानिक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है।

(ii) पुनरीक्षणकर्ता पर माह मार्च, 2019 का राशन वितरण दिनांक– 20.03.2019 से नहीं करने एवं भंडार/वितरण पंजी अद्यतन नहीं कर अनुदानित खाद्यान्न का कालाबाजारी करने का प्रमाणित आरोप है।

बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के कंडिका 14(vi), (ix) एवं 25 (i)(ड़) में अंकित है किः–

(vi)''अनुज्ञप्तिधारी राशन कार्ड के धारकों के अभिलेखों अर्थात स्टॉक रजिस्टर, निर्गमन या विक्रय रजिस्टर का अनुरक्षण प्रशासी विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत विहित् फॉर्मेट में करेगा, जिसमें अनुक्रमिक रीति में इलेक्ट्रानिकी फॉर्मेट भी रहेगा।''

(ix)''अनुज्ञप्तिधारी प्रत्येक मास के अंत में उचित मूल्य की दुकान में खाद्यान्नों के वास्तविक वितरण तथा शेष स्टॉक के लेखों का प्रतिवेदन अनुज्ञापन प्राधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को स्थानीय मुखिया या नगर निकाय के प्रमुख, जैसा मामला हो, तथा स्थानीय सतर्कता समिति के किसी एक सदस्य के सत्यापन के साथ समर्पित करेगा, और उसकी एक प्रति पंचायत या नगर निकाय को भेजेगा।''

(25)**अनुज्ञप्तिधारी के विरूद्ध कार्रवाईः–**(i)(ड़) ''अनुज्ञप्तिधारी जो कालाबाजारी में लगा हो अथवा खुले बाजार में खाद्यान्नों को भेज रहा हो अथवा अन्य व्यक्ति/संगठन के राशन दूकानों को दे देता हो, अपने को अपनी अनुज्ञप्ति के रद्दकरण के लिए दायी करेगा।''

इस प्रकार पुनरीक्षणकर्ता पर माह मार्च, 2019 का राशन वितरण दिनांक– 20.03.2019 से नहीं करने एवं भंडार/वितरण पंजी अद्यतन नहीं कर अनुदानित खाद्यान्न का कालाबाजारी करने जैसा कृत्य बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण), 2016 के नियम

Web Copy Not Official

14 (vi), (ix) एवं 25(i)(ड़) के प्रतिकूल है तथा पुनरीक्षणकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने बचाव में कोई ऐसा ठोस साक्ष्य इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश का विखंडन किया जा सके। साथ ही पुनरीक्षणकर्ता के विरूद्ध कालाबाजारी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज है एवं उक्त प्राथमिकी/काण्ड में पुनरीक्षणकर्ता दोषमुक्त हुये हैं या नहीं इसकी कोई सूचना पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई है तथा निम्न न्यायालय ने नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार पुनरीक्षणकर्ता को अपना पक्ष रखने का समूचित मौका देने के बाद मुखर आदेश पारित किया है।

अतः उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं पाते हुए इस पुनरीक्षण वाद को **अस्वीकृत** किया जाता है।

आई0टी0 सहायक को आदेश दिया जाता है कि आदेश प्राप्ति के 24 घंटे के अन्दर इस आदेश को आयुक्त कार्यालय के वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

लेखापित एवं संशोधित

आयुक्त

आयुक्त

Web Copy Not Official